1

वि [court fee stamps: 10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES; 5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES]

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी — 3742 - PBR/12

श्री डी.एस. चौहान एड.
द्वारा आज दि 31-10-12 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 31/10/12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— रामसिंह पुत्र पन्नालाल जाति लुहार (विश्वकर्मा)
2— राजेश पुत्र रामसिंह जाति लुहार (विश्वकर्मा)
निवासीगण —ग्राम इनायतपुर, तहसील [illegible]
जिला विदिशा (म.प्र.) ———आवेदकगण

बनाम

रामशंकर पुत्र चैन सिंह जाति गुर्जर
निवासी— बरमढी कृषक, ग्राम इनायतपुर, तहसील
त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.) ———अनावेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा—50 (1) म.प्र.भू.राजस्व संहिता—1959 नये संशोधन अधिनियम 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.9.2012 द्धारा पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बासौदा जिला विदिशा प्र.क. 130/अपील/2011—12 रामसिंह बनाम रामशंकर के निर्णय से दुखित होकर।</u>

D.S Chauhan
Advocate

श्रीमान जी,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन—पत्र सादर प्रस्तुत है:—

प्रकरण के तथ्य:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, विवादित भूमि ग्राम इनायतपुर तहसील त्योंदा स्थित भूमि सर्वे न. 121/2 रकबा 0.895 हैक्टर तथा 123/

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर 6

———

प्रकरण कमांक निगरानी 3742–पीबीआर/12 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा जिला विदिशा द्वारा प्र0क0 130/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29–9–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ इस प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनवाई दिनांक 17.3.15 को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु कहा गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक ने प्रशासनिक आदेश के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है । यह भी कहा गया कि उक्त आदेश की द्वितीय अपील होना चाहिए थी । इस न्यायालय में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । 5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को सीमांकन के विरूद्ध अपील का प्रावधान न होने से निरस्त किया है । जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही का प्रश्न है अभिलेख से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं है । सरहदी काश्तकारों को सूचना दी गई थी, इस	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रकार का कोई सूचनापत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं है । अतः यह प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर सीमांकन कार्यवाही विधिवत करें ।

उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य